

**फर्द अहकाम**

जगदीश बनाम श्रीराधकर्म

अतिरिक्त कलक्टर  
नाम न्यायालय (तृतीय) जयपुर

केस संख्या 52/2018

3-11-17

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	19-10-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 2-11-22 को पेश हो। रीडर, न्यायालय ए.डी.एम. (तृतीय), जयपुर
	2-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16-11-22 को पेश हो। रीडर, न्यायालय ए.डी.एम. (तृतीय), जयपुर
	16-11-22	पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ द्वारा कंडोलेन्स करने/कार्य स्थापित करने के कारण पत्रावली पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 7-12-22 को पेश हो। रीडर, न्यायालय ए.डी.एम. (तृतीय), जयपुर
	7-12-22	पत्रावली पेश हुई। उच्च पक्ष अधिवक्ता अनुपास्थित/ अधिवक्ता अपीलॉट को कारम्भार आव्वाज दिलाई गई है। उच्च पक्ष कारम्भार आव्वाज दिलाई गई इसके आव्वाज उच्च पक्ष अनुपास्थित/ पूर्व में श्री अपीलॉट अधिवक्ता को निम्नर दिनांक 1-12-22 से नोटिस फायम मुकाम पेश करने के निर्देश न्यायालय द्वारा दिए जा रहे हैं। अधिवक्ता अधिवक्ता हाथ नोटिस पेश नहीं किए जा रहे हैं। इसके पद सिद्ध होता है कि अपीलॉट अपील की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। आज भी उच्च पक्ष में से कोई डेपू नहीं हुआ है। हमारे पत्रावली का उत्तर में अधिवक्ता किया। अपीलॉट उच्च नोटिस तलवी पेश नहीं करके एवं अनुपास्थित इन्हें के कारण अपील अपीलॉट सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रादेश 9 नियम 5 एवं प्रादेश 9 नियम

Handwritten signature/initials

अतिरिक्त कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर

फर्द अहकाम

ज्यादीश बनाम मनीषा वर्मा

अतिरिक्त कलक्टर

(तृतीय) जयपुर

52/2018

अपील

दिनांक आज्ञा या  
कार्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

8 अन्तर्गत खारिज की जाती है। पत्रावली  
बैलल शुभाल होके, दर्ज नम्बर से फन  
देकर काजिल कराने हो।

अतिरिक्त कलक्टर  
(तृतीय) जयपुर